न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 60 / 2004

1 नत्थुराम पुत्र नारायण प्रसाद जाति जांगिड़ निवासी खेतड़ी हाल आबाद गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मांगुराम उर्फ मांगीया पुत्र जोराराम जाति जांगिड़ निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 राजकमल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मकसूसपुर तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
3 उप पंजियक खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.02.2004 उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी वाद उनवानी नत्थुराम बनाम मांगुराम आदि वाद घोषणात्मक, निषेधाज्ञा मु.न.201 / 1999

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः— 10.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 201/1999 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 392 वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खेतड़ी बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली दिनांक 24.12.2003 को वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 17.02.2004 को नियत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा बिना तनकी कायम किये, बिना उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये सीधे ही दिनांक 17.02.2004 की आदेशिका में बहस सुनना अंकित कर दिनांक 19.02.2004 को आदेशिका में चार लाईन में निर्णय अंकित कर वाद वादी खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

मने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली दिनांक 24.12.2003 को वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 17.02.2004 को नियत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा बिना तनकी कायम किये, बिना उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये सीधे ही दिनांक 17.02.2004 की आदेशिका में बहस सुनना अंकित कर दिनांक 19.02.2004 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेशिका में चार लाईन में निर्णय अंकित कर वाद वादी खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अनुसार तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर